



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271936
CG-DL-E-20042026-271936

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1895]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 1895]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026

का.आ. 1966(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालापल्ली जिले में NH-353C के कि.मी.67.000 से कि.मी.92.000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् आरडीओ भुपालपल्ली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने

जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालापल्ली जिले में NH-353C के कि.मी.67.000 से कि.मी.92.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: जयशंकर भूपालापल्ली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: (भूपालपल्ली)					
गांव का नाम: मोरांचापल्ली एच/ओ एसएम कोथापल्ली					
1	Govt	सरकारी	ओल्ड आर्&बी रोड	303.525 (वर्ग मीटर)	0.0303525
2	Govt	सरकारी	वागू (मोरांचा) (इरिगेशन डिपार्टमेंट)	101.175 (वर्ग मीटर)	0.0101175
तालुक का नाम: घनपुर (मुलुग)					
गांव का नाम: चेलपुर					
3	1050	निजी	कृषि (आर्द्र)	550.396 (वर्ग मीटर)	0.0550396
4	1061	निजी	कृषि (आर्द्र)	293.525 (वर्ग मीटर)	0.0293525
5	1062	निजी	कृषि (आर्द्र)	145.089 (वर्ग मीटर)	0.0145089
6	1065	निजी	कृषि (आर्द्र)	14.295 (वर्ग मीटर)	0.0014295
तालुक का नाम: (रेगोण्डा)					
गांव का नाम: भगीरथपेटा					
7	300	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	116.519 (वर्ग मीटर)	0.0116519

गांव का नाम: रमणगुडेम					
8	767	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	83.615 (वर्ग मीटर)	0.0083615
9	782	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	55.188 (वर्ग मीटर)	0.0055188
10	783	निजी	कृषि भूमि (सूखा)	0.619 (वर्ग मीटर)	0.0000619
Total					0.1663946

[फा. सं. DB/D1/EE/R&B//NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2026

S.O. 1966(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-353C in the stretch of land from Km.67.000 to Km.92.000 in the district of JAYASHANKAR BHUPALPALLY in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, RDO Bhupalpally in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-353C in the stretch of land from Km. 67.000 to Km.92.000 in the district of JAYASHANKAR BHUPALPALLY in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: JAYASHANKAR BHUPALPALLY		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhupalpally					
Village: Moranchapally H/o SM Kothapally					
1	Govt	Government	Old R&B road	303.525 (Square Meter)	0.0303525

2	Govt	Government	vagu (Morancha) (Irrigation department)	101.175 (Square Meter)	0.0101175
Taluk: Ghanpur(Mulug)					
Village: Chelpur					
3	1050	Private	Agriculture (wet)	550.396 (Square Meter)	0.0550396
4	1061	Private	Agriculture (wet)	293.525 (Square Meter)	0.0293525
5	1062	Private	Agriculture (wet)	145.089 (Square Meter)	0.0145089
6	1065	Private	Agriculture (wet)	14.295 (Square Meter)	0.0014295
Taluk: Regonda					
Village: Bhagirthpeta					
7	300	Private	Agriculture (Dry)	116.519 (Square Meter)	0.0116519
Village: Ramannagudem					
8	767	Private	Agriculture (Dry)	83.615 (Square Meter)	0.0083615
9	782	Private	Agriculture (Dry)	55.188 (Square Meter)	0.0055188
10	783	Private	Agriculture (Dry)	0.619 (Square Meter)	0.0000619
Total					0.1663946

[F. No. DB/D1/EE/R&B/NHW/2024-25/34 Dt. 25.04.2024/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director